




**FORM No III**

**फर्द अहकाम  
( नियम 26 )**

**अज अदालत सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर मुकाम अजमेर  
रमेशचन्द बनाम सरकार**

**किस्म मुकदमा बाजदायरी प्रा0पत्र मु0न0 18/2025**

दिख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
04.2025	<p>प्रार्थी अभिभाषक के द्वारा बाजदायरी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी अभिभाषक को सुना गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो अप्रार्थी को नोटिस जारी हो। पत्रावली दिनांक 22.05.2025 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">   <b>सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर</b> </p> <p>22/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रीमण्डल अजमेर ने वकालतनामा पेश कर जबाब देह सफा जाय सफा दिया गया। पत्रावली दिनांक इतना लिखने पर G.A में स्वीकार किया है कि बाजदारी प्रार्थना पत्र है जिसमें कोई शकहित निधि नहीं है ना ही शकहीप हित प्रभावित होते हैं। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तो कोई अपरहित नहीं है। प्रार्थी ने निवेदन किया की मूल वाद में टनकीपात का प्रम होनी थी जिस हेतु दिनांक 21.11.25 को वाद नियत था उक्त तिथि को वादी की तबीयत ठीक नहीं होने से न्यायालय में हाजिर नहीं हो सका ना ही अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर सका जिस कारण वाद अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया। उक्त वाद में वादी के हित निहित है जिसे पुनः नम्बर पर लिखा जाकर सुनवाई का अवसर प्रदान करेय।</p> <p>वादी द्वारा किये गये कथन उचित प्रतीत होते हैं, अप्रार्थी G.A. द्वारा भी हतराज नहीं किया कर। प्रा0पत्र स्वीकार किया जाकर मूल वाद पुनः नम्बर पर लिखे जाने का आदेश दिया जाता है। यह बाजदारी प्रार्थना पत्र फौजल शुमात होकर मूल वाद के साथ नहीं है। यह आदेश आज सुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">   <b>सहायक कलक्टर (मु0) अजमेर</b> </p>	<p style="text-align: right;">   <b>अधिवक्ता (G.A.)</b> </p>